रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

सं० 31] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 21, 1972/माघ 1, 1893

No. 31] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 21, 1972/MAGHA, 1, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 1972

G.S.R. 51(E).—The following Proclamation by the President is published for general information:

Whereas, by virtue of the provisions of the North Eastern areas (Re-organisation) Act, 1971 (81 of 1971) a new State of Manipur is formed on this the 21st day of January, 1972;

And whereas until such time as a general election is held for the purpose, there will be no Legislative Assembly for the said State;

And whereas, I, V. V. Giri, President of India, am satisfied that a situation has consequently arisen in which the Government of the said State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

(a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the State of Manipur and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;

(b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and

(c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely:—

(i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;

(ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely:—

so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;

articles 163 and 164;

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State;

articles 167 and 169;

articles 174 to 181 (both inclusive);

article 186;

so much of clause (3) of article 187 as relates to consultation with the Speaker of the Legislative Assembly;

article 188;

article 189; articles 193 to 196 (both inclusive);

article 198;

clauses (3) and (4) of article 199;

articles 200 and 201;

so much of clause (3) of article 202 as relates to the salaries and allowances of the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly;

articles 208 to 211 (both inclusive);

the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and

so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;

(iii) any reference in the Constitution to the Governor shall in relation to the said State be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the House thereof shall be construed as references to the President and to Parliament or the Houses thereof respectively;

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361, and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule, or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

(iv) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the

President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution and the provisions of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of any such Act or law as they apply for the interpretation of a Central Act.

NEW DELHI,
The 21st January, 1972

V. V. GIRI,
President.

[No. F. 38/1/72-Pol.I(A).]
GOVIND NARAIN, Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1972

सी० एस० आर० 51 (अ)—राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित उद्घोषणा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है —

यतः उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 31 वां) के उपबन्धों के अन्तर्गत आज 21 जनवरी, 1972 के दिन मणिपुर का नया गठित किया जाता है ;

तथा यतः उस समय तक के लिए, जब तक कि इस प्रयोजन के लिए सामान्य चुनाव नहीं हो जाते, उक्त राज्य के लिए कोई विधान सभा नहीं होगी ;

तथा यतः, मैं, व० वे० गिरि, भारत का राष्ट्रपति, इस बात पर सन्तुष्ट हूं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन भारत के संविधान (जिसका निर्देश इसके पश्चात् 'संविधान,' के रूप में किया गया है) के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है;

अतः अब मैं, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उद्घोषणा करता हूं कि मैं :—

(क) मणिपुर राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित, या प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने हाथ में लेता हूं ;

(ख) घोषित करता हूं कि उक्त राज्य के विधान मण्डल की शक्तियां संसद् के प्राधिकार के अधीन या उसके द्वारा प्रयोग की जायेंगी ; और

(ग) निम्नलिखित आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध करता हूं कि जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुझे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते है, अर्थात् :—

(i) इस उद्घोषणा के उपर्युक्त खण्ड (क) के आधार पर अपने हाथ में लिए गए कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करने में, मेरे लिए भारत के राष्ट्र-

पति के रूप में उस सीमा तक, जिस तक मैं ठीक समझूं, उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा ;

(ii) उस राज्य के सम्बन्ध में संविधान के निम्नलिखित उपबन्धों के प्रवर्तन को एतद्द्वारा निलम्बित किया जाता है, अर्थात् :—

अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग, जो राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मंडल को दिये जाने वाले निदेश से संम्बिधत है ;

अनुच्छेद 163 और 164 ;

अनुच्छेद 166 के खण्ड (3) का उतना भाग जो राज्य सरकार के कार्य को मंत्रियों के बीच बांटने से सम्बन्धित है ;

अनुच्छेद 167 और 169 ;

अनुच्छेद 174 से 181 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) ;

अनुच्छेद 186 ;

अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) का उतना भाग, जो विधान सभा के अध्यक्ष के साथ परामर्श करने से सम्बन्धित है ;

अनुच्छेद 188 ;

अनुच्छेद 189; अनुच्छेद 193 से 196 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं)

अनुच्छेद 198 ;

अनुच्छेद 199 के खण्ड (3) और (4) ;

अनुच्छेद 200 और 201 ;

अनुच्छेद 202 के खण्ड (3) का उतना भाग जो विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों से सम्बन्धित है ;

अनुच्छेद 208 से 211 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) ;

अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) का परन्तुक और खण्ड (3) का परन्तुक ; और अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) का उतना भाग जो ज्ञापन सहित रिपोर्ट को राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने से सम्बन्धित है ;

( ) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का अर्थ उक्त राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के प्रति निदेश लगाया जायेगा और उसमें राज्य के विधान मण्डल या विधान सभा के प्रति किसी निदेश का अर्थ जहां तक उसका सम्बन्ध उसके कृत्यों और उसकी शक्तियों से है, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो संसद् के प्रति निदेश लगाया जायेगा और विशिष्ट रूप से अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और राज्य के विधान मण्डल या विधान सभा के प्रति निदेश का अर्थ क्रमश: राष्ट्रपति और संसद् या उसके सदनों के प्रति निदेश लगाया जायेगा :

परन्तु इसमें की कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से लेकर अनुच्छेद 159 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं), अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 से लेकर पैरा 4 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी और राष्ट्रपति को इस खण्ड के उपखण्ड (*i*) के अधीन उस सीमा तक, जहां वह ठीक समझे, उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने में बाधा नहीं डालेगी ;

(*iv*) संविधान में राज्य के विधान मण्डल के या उसके द्वारा बनाए गये अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निदेश का अर्थ यह लगाया जायेगा मानो उसके अन्तर्गत इस उद्घोषणा के आधार पर संसद् द्वारा या राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति निदेश है, और साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (1897 का 10वां) के उपबन्ध, ऐसे किसी अधिनियम या विधि की व्याख्या के बारे में इस प्रकार प्रभावी होंगे जैसे कि वे केन्द्रीय अधिनियम की व्याख्या के बारे में प्रभावी होते हैं ।

नई दिल्ली ;
21 जनवरी, 1972

व० वे० गिरि,
राष्ट्रपति ।

[सं० फा० 38/1/72-पोल० I (ए)]

गोविन्द नारायण,
सचिव ।

ORDER

New Delhi, the 21st January 1972

G.S.R. 51(E).—The following Proclamation by the President is published for general information:

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued by me on this the 21st day of January, 1972, under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Manipur and all the powers vested in, or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

NEW DELHI;
The 21st January, 1972.

V. V. GIRI,
President.

[No. F. 38/1/72-Pol.I(A).]

GOVIND NARAIN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1972

जी० एस० आर० 52 (ई).—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज जनवरी 21, 1972 के दिन जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) का अनुसरण करते हुए, मैं एतद्द्वारा निदेश देता हूं कि मणिपुर राज्य सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियां, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के खण्ड (क) के आधार पर अपने हाथ में ले लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोग की जायेंगी।

नई दिल्ली ;
21 जनवरी, 1972

व० वे० गिरि,
राष्ट्रपति।

[सं० फा० 38/1/72-पोल० I (ए)]

गोविन्द नारायण, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972